

प्रारूप-2.1

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में चमियाला-इन्द्रवाणगांव कांगड़ा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लम्बाई 10.00 कि०मी०।

प्रतिवेदन

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में आवादी वाली असंयोजित बसावट को किसी भी बाहरमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य सम्मिलित किया गया है। उक्त क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-790/III(2) 208-34(प्रा०आ०)/07 दिनांक-20.03.2008 को मोटर मार्ग की 10.00 कि०मी० हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई !

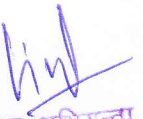
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार चमियाला से इन्द्रवाण गांव कांगड़ा तक की कुल आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ पायी है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है परन्तु यातायात की सुविधा न होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का मुल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार साधन उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग के निर्माण हा जाने से जहाँ युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे वहीं सरकार की विकास योजनाएं भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कास्तकारों की नाप भूमि की अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 3.997 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि .700 है०, 2.961 है०, नाप भूमि प्रभावित हो रही है जो कि न्यूनतम एव अप्रिहार्य है वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सरवेक्षण के उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया है। त्तिन्हे प्रस्ताव में संलग्न रंगीन गोगल मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया

नं०-1 को अनुमोदित किया गया है इन दोनों समरेखणों का भू-वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। एवं उनके द्वारा समरेखण नं०-1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भू-गर्भीया दृष्टि से उपर्युक्त पाया गया है। भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट की आख्या की छाया प्रति संलग्न अतः लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार आने वाले आरक्षित वन भूमि 3.997 है०, सिविल सोयम भूमि .700 है०, वन भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली


सहायक अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली


अधिशाली अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली